न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 41 / 2025(GCMS 2025/239)
(RTI No. 212689607229122)

श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर – 94606–88197)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुभाष कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.04.2025 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री सुभाष कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.04.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. कृषि भूमि के नाबालिग के नामान्तरण में संरक्षण या अभिभावक सम्बन्धित नियम की प्रमाणित प्रति।
2. चक 8 एलएलजी पटवार हल्का लालगढ़ जाटान में सम्वत 2029 से 2038 के खाता संख्या 27 में विद्यासागर पि.मू. सिंगारी देवी पत्नी सुखराम के नाम दर्ज हो। इससे पूर्व सम्वत् 2024 से 2029 में सिंगारी देवी पत्नी सुखराम के नाम दर्ज हो। विद्यासागर पि.मू. सिंगारी देवी का नामान्तरण सम्बन्धित नियम की प्रमाणित कॉपी।
3. सम्वत् 2029 से 2038 में चक 8 एलएलजी हल्का लालगढ जाटान में विद्यासागर पि.मू. सिंगारी देवी के नामान्तकरण के आदेश व इन्तकाल रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी, आदेश करने वाला कर्मचारी पद व नाम, दिनांक व आदेश के साथ संलग्न दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर ने अपने पत्रांक भू.अ. / 2024 / 2292 दिनांक 09.07.2025 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्रांक भू.अ. / 2025 / 2250 दिनांक 03.07.2025 से अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख की जानकारी उपलब्ध करवा दी है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर ने अपने पत्रांक भू.अ. / 2025 / 2250 दिनांक 03.07.2025 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:36:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 52/2025
(GCMS No. 2025/293)
(RTI No. : 212773546327712)

	विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा अपेक्षित सूचना चक 8 एलएलजी पटवार मंडल लालगढ़ बी, उप तहसील लालगढ़ से सम्बन्धिता है। अतः पटवारी हल्का, लालगढ बी से प्राप्त मूल रिपोर्ट आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में प्रेषित है, संलग्न रिकॉर्ड के अलावा अन्य किसी प्रकार की सूचना की आवश्यकता हो तो सम्पूर्ण विवरण के साथ उप तहसीलदार, कार्यालय लालगढ़ में किसी भी कार्य दिवस में व्यक्तिशः उपस्थित होकर भी आप सूचना प्राप्त कर सकते है। **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में** कोई **सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की** कोई गुंजाईश **नही है।** इसलिए **तहसीलदार, सादुलशहर** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार, सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का अपीलार्थी को अवलोकन करवाये और [illegible] उपलब्ध रिकॉर्ड से वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:36:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 52 / 2025
(GCMS No. 2025/293)
(RTI No. : 212773546327712)

	अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति सहायक **लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो। **यह आदेश आज दिनांक 24.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (डॉ. मन्जू) जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:36:19 IST
Reason: SelfAttested